न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/28/2022

विक्रमसिंह मीना निवासी RZ-E 65,Dabri Extn, New Delhi 110045

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.04.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट विक्रमसिंह मीना निवासी RZ-E 65,Dabri Extn, New Delhi 110045 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2022 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/238 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 2946 दिनांक 13.04.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी कामां से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 2427 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित कर दिया गया है, जिसकी प्रति अपीलान्ट को भी दी गई है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी कामां को अन्तरित करते हुये पत्रांक 2428–29 दिनांक 23.03.2022 से अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने

उपखण्ड अधिकारी कामां के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर